

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 647 /11-सी- FP/UP/Approach/44699/2020 लखनऊ, दिनांक: अगस्त 22, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) किमी० ०३ चैनेज-२.२४३ की बांयी पटरी पर खसरा संख्या-१० में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क के निर्माण हेतु ०.०६९७७७ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव FP/UP/Approach/44699/2020

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-८बी०/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ०सी०/१२४, दिनांक-२३.०९.२०२४

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-४६२/१४-१, दि० १८.०८.२०२५ द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 647/11-सी FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 647/11-सी FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- २- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
- ३- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय ६५/२, संजय प्लेस, आगरा-२८२००२ (यू०पी०)।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 462/14-1(44699/2020)दिनांक अलीगढ़:अगरत: 18,2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी 0 03 (चैनेज-2.243) की बायीं पटरी खसरा संख्या-10 में 0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे 0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार की पत्र सं0-08वी/यूपी0/06/68/2022/एफ.सी./86 दिनांक 29.07.2024.
- 2- भारत सरकार की पत्र सं0-08वी/यूपी0/06/68/2022/एफ.सी./124 दिनांक 23.09.2024
- 3- अनु सचिव, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-1932/81-2-2024-800(69)/2022. दि 0 24.01.2025
- 4- आपका पत्रांक-815/11सी-एफ.पी./यू पी./एप्रोच/44699/2020 दिनांक 23.09.2024.
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-227/35-1 दिनांक 28.07.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्रों द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस व प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्नक सहित ऑनलाइन कर निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1-	Action Should be initiated under clause i-16 (i)b, under section 3A & 3B for violation, under van (sanrakshan Evam Samvadhan) Adhiniyam 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रतिष्ठान प्रभागीय कार्यालय, हाथरस के पत्रांक-293/14-1, दिनांक 03.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ0सी0ए0 गाइड लाईन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के गिरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। उक्त वाद में मा0 न्यायालय, हाथरस द्वारा जारी दण्डादेश/आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	There is no clarity on the action taken by the state Govt. on the concerned Forest officials who failed to Prevent the violation. The same should be submitted By the state Government.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप 3ए/3बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री शोभाराम ओझा (सेवानिवृत्त) एवं श्री अजीहसन वनविद तत्कालीन वीट/संरक्षण प्रभारी दोषी हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 633/2-1 दिनांक 25.08.2022 (संलग्नक-2) एवं 634/2-1 दिनांक 25.08.2022 (संलग्नक-3) द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा

2